चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा व अर्थदंड

श्रावस्ती संवाददाता। 12 साल पहले हुई एक घटना में बुधवार को सजा सुनाई गई। इसमें लाठी डंडे से हमला करने के चार दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता के पी सिंह ने बताया की गिलौला क्षेत्र के हरबंस पुर गांव निवासी निर्मल कुमार के घर के सामने आठ दिसम्बर 2012 को गांव के ही संतू उर्फ़ संतराम, गोलू यादव, जगत राम व बरई घूर लगाने लगे। निर्मल कुमार ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर लाठी डंडो से हमला क़र दिया। निर्मल की तहरीर पर गिलौला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच करके आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा। सुनवाई बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चारो आरोपियों संतू, गोली यादव, जगतराम यादव व बरई को दोष सिद्ध ठहराते हुए तीन तीन साल की सजा सुनाई है।

सीओ ने ली परेड की सलामी

श्रावस्ती : सीओ जमुनहा सतीश कुमार शर्मा ने रिजर्व पुलिस लाइन में पहुंचकर परेड की सलामी ली। उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ भी लगवाई। पुलिस लाइन परिसर की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। (सं.)